संख्या–302 / एक–10–2020–33(8) / 2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 22 जून, 2020

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में पीएसी की बाढ़ राहत कम्पनियों हेतु मोटर–बोट्स एवं उपकरण आदि क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पीएसी मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक पीएसी–तीन–8099 / 2019, दिनांक 30.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पीएसी की बाढ़ राहत कम्पनियों में उपलब्ध मोटर–बोट्स एवं उपकरणेां आदि के मरम्मत एवं क्रय किये जाने व ओ0बी0एम0 इंजन आदि के ईधन की पूर्ति हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रू0 6,96,36,800 / – का धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजन हेतु मांग की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मोटर–बोट्स एवं उपकरणेां आदि के मरम्मत तथा ईंधन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि अनुमन्य किये जाने का प्राविधान नहीं है। उक्त के दृष्टिगत पीएसी को मोटर–बोट्स एवं उपकरणेां आदि क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 5,96,36,800 / – **(रूपये पॉच करोड़ छियानवे लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखितविवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0सं0	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	ली–जेट बोट	17	2,04,00,000.00
2	फाइबर ग्लास बोट्स	21	100,80,000.00
3	रबराइज्ड इन्फ्लेटेबल बोट	17	85,00,000.00
4	एल्युमिनियम बोट	07	84,00,000.00
5	ओबीएम इंजन	07	36,75,000.00
6	लाइफ ब्वाय	31	74,400.00
7	लाइफ जैकेट	203	6,49,600.00
8	नायलान रस्सी	30 किग्रा0	18,000.00
9	नेट फिसिंग	03	3,60,000.00
10	लालटेन	411	18,49,500.00

11	टार्च फोर हेड	112	5,04,000.00
12	जरीकेन	392	10,97,600.00
13	सर्चलाइट / ड्रैगन लाइट	111	3,55,200.00
14	बैट्री, 144 बोल्ट	161	12,07,500.00
15	सोलर लालटेन	51	3,06,000.00
16	वाटर प्रूफ टेन्ट	36	21,60,000.00
		योग	**5,96,36,800.00**
	(रूपये पॉच करोड़ छियानवे लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र)		

(1)जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय इस्त पुस्तिका / वित्तीय नियमों तथा प्रकियाओं का अनुपालन किया जायेगा । गृह विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथावा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुयी हो।

(2)जो भी उपकरण कय किये जायेगें उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों जो किसी विशिष्ट एजेन्सी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार / जेम पोर्टल के अनुसार कय किये जायेगें। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कय किये गये उपकरणो की गुणवत्ता, सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0 / सी0एम0सी भी करायी जायेगी।

(3)राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4)निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5)राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग / समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2 / 1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन / दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6)उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7)व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3— उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत— 05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्य व्यय—06—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—10—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय—42—अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,
22/6/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः— 302 (1)/एक—10—2020,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2— पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ0प्र0।
3— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पीएसी मुख्यालय, लखनऊ ।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5— समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— वित्त (व्यय —नियंत्रण) अनुभाग—5/गृह (पुलिस) अनुभाग—7/16
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव।